न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 145/2019

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 बालाराम 2 नगमाराम 3 हरखाराम 3 अचलाराम पिसरान गुलाराम जाति जाट निवासी जेताणियरों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	1 गुलाराम पुत्र मूलाराम 2 रेखाराम पुत्र गुलाराम जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर 3 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री भोमाराम सियाग, वकील वादी।
2. श्री मेघाराम चौधरी, वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 02।

निर्णय

दिनांक 9-10-19

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 02 मूलाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की पैतृक भूमि मौजा पांचाणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 843/630 रकबा 28.9 बीघा तथा मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 780/711 रकबा 16.03 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता मूलाराम की फौतगी पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 के पिता प्रतिवादी संख्या 01 गुलाराम के नाम दर्ज हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02, प्रतिवादी संख्या 01 गुलाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 गुलाराम की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02, प्रतिवादी संख्या 01 गुलाराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 02 को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित कर 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वकील प्रतिवादी संख्या 02 की और से इकबाली जवाब मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर वाद में अंकित अनुसार उनका भी हिस्सा पृथक कर भूमि का विभाजन किया जाने का निवेदन किया है।

वादी संख्या 01 बालाराम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादी संख्या 01 बालाराम द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

E:\SDM Barmer\Lalit Ji Joshi\RTA 88\ORDER 88.docx

Scanned by CamScanner

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण, प्रतिवादी संख्या 02 को प्रतिवादी संख्या 01 गुलाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 एवं राजीनामा का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 गुलाराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा के पक्ष में रहन है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा व प्रतिवादी संख्या 02 का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर मौजा पांचाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 843/630 रकबा 28.9 बीघा तथा मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 780/711 रकबा 16.03 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 को प्रतिवादी संख्या 01 गुलाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी 01 व 02 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 गुलाराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

सहायक कलेक्टर (SDO) बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 9-10-19 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

सहायक कलेक्टर (SDO) बाड़मेर

प्रपत्र – 6

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 बालाराम 2 नगमाराम 3 हरखाराम 3 अचलाराम पिसरान गुलाराम जाति जाट निवासी जेताणियरों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	1 गुलाराम पुत्र मूलाराम 2 रेखाराम पुत्र गुलाराम जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर 3 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा बाड़मेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 145/2019
निर्णय दिनांक :–9-10-19............

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा व प्रतिवादी संख्या 02 का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर मौजा पांचाणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 843/630 रकबा 28.9 बीघा तथा मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 780/711 रकबा 16.03 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 को प्रतिवादी संख्या 01 गुलाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी 01 व 02 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 गुलाराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 9-10-19........ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्सप प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

F:\SDM Barmer\...

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2019.12.24 16:40:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: